मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2940
12.03.2021 को उत्तर के लिए

कैम्पा कोष के अंतर्गत आबंटित निधियां

2940. श्री चुन्नीलाल साहू :
श्री मोहन मंडावी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के अंतर्गत आवंटित निधि का योजना-वार, वर्ष-वार एवं राज्य-वार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधि के आवंटन के संबंध में कोई संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो कितनी प्रतशित निधि पर संपरीक्षा की गई है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सहित राज्यों को विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान की गई राशि की शत प्रतिशत संपरीक्षा होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवंटित निधि के व्यय के संबंध में सरकार को वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और इसमें कितने लोग दोषी पाए गए हैं और उक्त अवधि के दौरान उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के दौरान तदर्थ काम्पा द्वारा संवितरित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 के दिनांक 30.09.2018 से प्रभावी होने के बाद, दिनांक 31.01.2021 को छत्तीसगढ़ राज्य सहित ऐसे 31 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों जिन्होंने अपने राज्य निधि कोष स्थापित किए हैं, को 48,477.77 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई है। ये वितरण/संवितरण इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों के शीर्ष-वार और संघटक-वार पुनर्विनियोजन को पूरा कर लेने के बाद किया गया है। ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ग) प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 में प्रत्येक राज्य प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा करवाने का प्रावधान है।

(घ) राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्राप्त हुई सभी शिकायतें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जांच के लिए अग्रेषित की जाती हैं। इसके साथ-साथ, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्राप्त शिकायतों पर स्वयं कार्रवाई भी करती हैं और जांच के बाद, उचित कार्रवाई करती हैं, जिसमें दोषी कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

*****

अनुबंध-I

'कैम्पा कोष के अंतर्गत आबंटित निधियां' के संबंध में दिनांक 12.03.2021 को उत्तर के लिए श्री चुन्नीलाल साहू और श्री मोहन मंडावी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2940 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान तदर्थ काम्पा द्वारा संवितरित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम**	**2018-19**	**2019-20**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.56	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	104.47	322.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	354.15	0.00
4.	असम	45.84	55.89
5.	बिहार	46.62	140.18
6.	चंडीगढ़	1.27	1.87
7.	छत्तीसगढ	0.00	848.51
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.00	0.00
10.	दिल्ली	0.00	0.00
11.	गोवा	0.00	17.95
12.	गुजरात	212.66	0.00
13.	हरियाणा	144.20	96.84
14.	हिमाचल प्रदेश	132.52	145.82
15.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00
16.	झारखंड	286.25	399.29
17.	कर्नाटक	101.40	146.21
18.	केरल	14.61	0.00
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	268.76	506.38
21.	महाराष्ट्र	225.00	499.38
22.	मणिपुर	24.85	30.36
23.	मेघालय	0.00	0.00
24.	मिजोरम	8.30	19.23
25.	नगालैंड	0.00	0.00
26.	ओडिशा	554.00	592.52
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00
28.	पंजाब	79.20	64.72
29.	राजस्थान	182.03	267.69
30.	सिक्किम	0.00	54.38
31.	तमिलनाडु	7.00	0.00
32.	तेलंगाना	237.38	510.00
33.	त्रिपुरा	16.70	16.74
34.	उत्तर प्रदेश	150.60	285.68
35.	उत्तराखंड	303.00	218.00
36.	पश्चिम बंगाल	21.22	70.07
	कुल	**3523.59**	**5310.68**

<u>अनुबंध-II</u>

'कैम्पा कोष के अंतर्गत आबंटित निधियां' के संबंध में दिनांक 12.03.2021 को उत्तर के लिए श्री चुन्नीलाल साहू और श्री मोहन मंडावी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2940 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा संवितरित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के नाम	31.01.2021 तक संविरित की गई निधियां (करोड़ रु. में)
1.	अंडमान और निकोबार	16.41
2.	आंध्र प्रदेश	1734.81
3.	अरुणाचल प्रदेश	1588.72
4.	असम	560.81
5.	बिहार	522.95
6.	चंडीगढ़	11.38
7.	छत्तीसगढ	5791.70
8.	गोवा	238.16
9.	गुजरात	1484.60
10.	हरियाणा	1282.65
11.	हिमाचल प्रदेश	1660.72
12.	जम्मू और कश्मीर	764.54
13.	झारखंड	4158.02
14.	कर्नाटक	1350.37
15.	केरल	81.59
16.	लद्दाख	249.27
17.	मध्य प्रदेश	5196.69
18.	महाराष्ट्र	3844.24
19.	मणिपुर	309.76
20.	मेघालय	163.31
21.	मिजोरम	212.98
22.	ओडिशा	5933.98
23.	पंजाब	1040.84
24.	राजस्थान	1748.26
25.	सिक्किम	392.36
26.	तमिलनाडु	113.42
27.	तेलंगाना	3110.38
28.	त्रिपुरा	183.65
29.	उत्तर प्रदेश	1819.63
30.	उत्तराखंड	2675.09
31.	पश्चिम बंगाल	236.48
	कुल	**48477.77**

*****